भारत में
सामाजिक कल्याण और सुरक्षा
(SOCIAL WELFARE & SECURITY IN INDIA)

लेखक
रवीन्द्रनाथ मुखर्जी
रीडर तथा अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग,
बरेली कॉलेज,
बरेली।

Manohar Memorial College
LIBRARY
Accession No. 665
Classification
FATEHABAD (HISSAR)

प्रकाशक
सरस्वती सदन, मसूरी।
चतुर्थ संस्करण, १९६८] [मूल्य : १० रुपये

भारत में
सामाजिक कल्याण और सुरक्षा
(SOCIAL WELFARE & SECURITY IN INDIA)

लेखक
रवीन्द्रनाथ मुखर्जी
रीडर तथा अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग,
बरेली कॉलेज,
बरेली ।

Manohar Memorial College
LIBRARY
Accession No. 665
Classification
FATEHABAD (HISSAR)

प्रकाशक
सरस्वती सदन, मसूरी ।
चतुर्थ संस्करण, १९६८]
[मूल्य : १० रुपये

विषय सूची

अध्याय १—कल्याण राज्य और समाज कल्याण (Welfare State and Social Welfare) ६

भूमिका, कल्याण राज्य का अवधारणा, कल्याण राज्य क्या है ?, कल्याण राज्य के आवश्यक सिद्धान्त, क्या समाजवाद के बिना कल्याण राज्य सम्भव है ? भारत एक कल्याण राज्य के रूप में, क्या भारत एक कल्याण-राज्य है ? भारतीय संविधान में कल्याणकारी सिद्धान्त, राज्य द्वारा अनुसरणीय कल्याणकारी सिद्धान्त, गाँधीवादी सिद्धान्त, पंचवर्षीय योजनाओं में कल्याणकारा सिद्धान्त, समाज-कल्याण की अवधारणा, समाज-कल्याण का अर्थ व परिभाषा, सामाजिक कल्याण के संवर्द्धन में लोक और अलोक अभिकरणों का तुलनात्मक महत्त्व, भारत सरकार द्वारा किये गये समाज-कल्याण कार्य, समाज-कल्याण व पंचवर्षीय योजनाएँ, निष्कर्ष ।

अध्याय २—सामाजिक कल्याण व पुनर्निर्माण के सिद्धान्त (Theories of Social Welfare and Reconstruction) ४६

सामाजिक पुनर्निर्माण क्या है ?—उपयोगितावाद, साम्यवाद, संघवाद, समष्टिवाद या राजकीय समाजवाद, श्रेणी-समाजवाद, अराजकतावाद, गान्धीवाद ।

अध्याय ३—राज्य के कार्य सम्बन्धी सिद्धान्त (Principles of State Action) ६६

राज्य के कार्य-सम्बन्धी प्राचीन सिद्धान्त, आधुनिक सिद्धान्त—सामाजिक अनुबन्ध का सिद्धान्त, आदर्शात्मक सिद्धान्त, व्यक्तिवाद, साम्यवाद, अराजकतावाद, गांधीवाद, किन आधारों पर राज्य को व्यक्ति के आर्थिक कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए, वर्तमान समय में राज्य के कार्यों के विस्तार के कारण, क्या बढ़ता हुआ राजकीय नियन्त्रण खरनाक है ?

अध्याय ४—भारत में सामाजिक विधान (Social Legislation in India) ८६

भारत में सामाजिक विधान, सामाजिक विधान का अर्थ, भारत में सामाजिक विधान का महत्व, क्या राज्य के लिये सामाजिक विधान बनाना उचित है, भारत में प्रमुख सामाजिक विधान—सती प्रथा निषेध अधिनियम १८२९, हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम १८५६, हिन्दू स्त्रियों का सम्पत्ति पर अधिकार अधिनियम १९३७, बाल विवाह निरोधक अधिनियम १९२९, विशेष विवाह अधिनियम १८७२, १९२३, १९५४; हिन्दू विवाह तथा विवाह विच्छेद अधिनियम १९५५, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम

१९५६, हिन्दू नाबालिग तथा संरक्षकता-अधिनियम १९५६, हिन्दू गोद लेना तथा भरण-पोषण अधिनियम, १९५६, दहेज निरोधक अधिनियम, १९६१ मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम १९३९, अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम १९५५, स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम १९५६, हिन्दू कानून का संहिताकरण या हिन्दू-कोड बिल का हिन्दू स्त्रियों और परिवारों पर प्रभाव, हाल के विधानों का परिवार तथा विवाह पर प्रभाव, नारी तथा बाल-कल्याण के लिए बने सामाजिक विधान, सामाजिक परिवर्तन लाने व समाज कल्याण में विधानों का महत्व, भारत में सामाजिक विधानों की सफलता की सीमा, निष्कर्ष।

अध्याय ५—भारत में सामाजिक सुधार (Social Reform in India) ११८

भारत में सामाजिक-सुधार, सामाजिक सुधार का अर्थ, भारत में सामाजिक-सुधार आन्दोलन की सहायक अवस्थाएँ, सामाजिक सुधारों का महत्व या आवश्यकता, हम किन समाज-सुधारों का समर्थन करेंगे और क्यों, भारत में सामाजिक-सुधार-आन्दोलन का इतिहास, भारतीय सामाजिक-सुधार आन्दोलन के प्रमुख नेता गण, राजा राम मोहन राय, महर्षि देवेन्द्र नाथ ठाकुर, श्री केशव चन्द्र सेन, स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गाँधी, समाज-सुधारक संस्थाएँ, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, राम कृष्ण मिशन, सर्वोदय, समाज-सुधार आंदोलन के परिणाम।

अध्याय ६—शिक्षा सम्बन्धी सुधार (Educational Reforms) १४२

शिक्षा का अर्थ और परिभाषा, शिक्षा के उद्देश्य, वर्तमान शिक्षा प्रणाली के दोष, उच्च शिक्षा में सुधार करने के सुझाव, वर्तमान समय के सुधार के प्रयत्न, संक्षिप्त रूप-रेखा, वर्धा योजना, प्रमुख विशेषतायें, समाज शिक्षा, अन्य सुधारात्मक प्रयोग, (१) वनस्थली विद्यापीठ, (२) विश्व भारती, (३) गुरुकुल, चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा, निष्कर्ष।

अध्याय ७—ग्रामीण पुर्नर्निर्माण और नियोजन (Rural Reconstruction and Planning) १८२

भारत में ग्रामीण समुदाय का महत्व, भारतीय गाँव की प्रमुख समस्याएँ, भारत में ग्रामीण पुर्नर्निर्माण, भारत में ग्रामीण-पुर्नर्निर्माण और नियोजन का महत्व; ग्रामीण-पुर्नर्निर्माण के प्रारम्भिक प्रयत्न; स्वतन्त्रता के पश्चात ग्रामीण-पुर्नर्निर्माण, बिचोलियों का उन्मूलन और ग्रामीण पुर्नर्निर्माण, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन, ग्राम पंचायतों का पुनः संगठन और ग्रामीण-पुर्नर्निर्माण, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम १९४७, ग्रामीण-पुर्नर्निर्माण में गाँव पंचायतों का महत्व, सहकारिता और ग्रामीण-पुर्नर्निर्माण, भूदान यज्ञ और ग्रामीण-पुर्नर्निर्माण, पंचवर्षीय योजनाएँ और ग्रामीण पुर्नर्निर्माण।

अध्याय ८—सामुदायिक विकास योजना और ग्रामीण पुर्नर्निर्माण (Community Development Projects and Rural Reconstruction) २१४

सूत्रपात, अर्थ तथा उद्देश्य, आधारभूत सिद्धान्त, विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास का वर्तमान रूप, संगठन, प्रशिक्षण, योजना की सफलतायें, ग्रामीण जीवन पर सामुदायिक योजनाओं का प्रभाव या महत्व, कार्यक्रम का मूल्यांकन, निष्कर्ष।

अध्याय ९—भारत में नियोजन (Planning in India) २३१

नियोजन क्या है, नियोजन का महत्व, भारत में आर्थिक नियोजन के सामाजिक उपलक्षण, प्रथम पंचवर्षीय योजना (१९५१–१९५६), द्वितीय पंचवर्षीय योजना (१९५६–१९६१), तृतीय पंचवर्षीय योजना, पिछली योजनाओं के फलस्वरूप हुई प्रगति, चौथी पंचवर्षीय योजना; विकास कार्य-क्रम, कृषि, सिंचाई, परिवहन और संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, ग्रामीण व लघु उद्योग, सहकारिता, श्रम कल्याण, समाज कल्याण, निष्कर्ष।

अध्याय १०—उद्योगीकरण–उसका सामाजिक, आर्थिक प्रभाव (Industrialization–its Socio-economic effects) २६१

उद्योगीकरण क्या है, नगर व नगरीकरण का अर्थ, नगरों की समस्यायें, उद्योगीकरण व नगरीकरण के सामाजिक व आर्थिक प्रभाव—सामाजिक जीवन पर, परिवारिक जीवन पर, धार्मिक जीवन पर, राज्य पर, ग्रामीण समुदायों पर और आर्थिक जीवन पर उद्योगीकरण के प्रभाव।

अध्याय ११—सामाजिक विघटन (Social Disorganisation) २७६

सामाजिक संगठन, सामाजिक संगठन के आवश्यक तत्व, सामाजिक विघटन, सामाजिक विघटन की परिभाषा, उसके आवश्यक तत्व व लक्षण, सामाजिक विघटन के कारण, औद्योगीकरण तथा सामाजिक विघटन, सामाजिक विघटन में व्यक्ति का उत्तरदायित्व, सामाजिक विघटन के परिणाम।

अध्याय १२—अपराध भारत में (Crime in India) २९१

अपराध का वैधानिक पहलू, अपराध का सामाजिक पहलू, अपराध की सापेक्षिकता, अपराध और समाज विरोधी कार्य, अपराधों का वर्गीकरण, अपराधी कौन है, अपराधियों का वर्गीकरण, अभिजात अपराधी, अपराध और पाप, अपराध और व्यभिचार, अपराध और अनैतिकता, अपराध और वैयक्तिक अधिकार-अपहरण, अपराध के सिद्धान्त या वाद, समालोचना।

अध्याय १३—भारत में अपराध के कारण (Causes of Crime in India) ३१२

अपराध का कोई एक कारण नहीं, अपराध के कारण—भौगोलिक, प्राणि-शास्त्रीय और व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक, अपराध-निरोध, अपराधियों को सुधारने के उपाय।

CamScanner

अध्याय १४—बाल-अपराध (Child Delinquency) ३११
बाल-अपराध का अर्थ, अपराधी और बाल-अपराधी में अन्तर, बाल-अपराध के कारण – परिवार सम्बन्धी, व्यक्तिगत, सामुदायिक; बाल-अपराध निरोध, बाल अपराधियों का सुधार; निष्कर्ष ।

अध्याय १५—नशा-निषेध (Prohibition) ३४८
नशा-निषेध क्या है, नशाखोरी से हानियाँ, नशा-निषेध से लाभ, नशा-निषेध से हानि, भारत में नशा-निषेध आन्दोलन का क्रमिक विकास, वर्तमान भारत में नशा-निषेध, नशा-निषेध जाँच कमेटी १९५५, पंचवर्षीय योजनाओं में नशा-निषेध, निष्कर्ष ।

अध्याय १६—सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा (Social Security and Social Insurance) ३६७
प्राक्कथन, भारतीय श्रमिकों की विशेषतायें, भारत की औद्योगिक श्रम-शक्ति, सामाजिक सुरक्षा की धारणा, सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा व क्षेत्र, भारत में सामाजिक सुरक्षा का महत्व व आवश्यकतायें, भारत में सामाजिक सुरक्षा—श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, मातृत्व हितलाभ अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम १९४८, कोयला खान निर्वाह निधि एवं बोनस योजना अधिनियम १९४८, कर्मचारी निर्वाह निधि अधिनियम १९५२, निष्कर्ष ।

अध्याय १७ श्रम कल्याण (Labour Welfare) ३९१
श्रम कल्याण का अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र, श्रम कल्याण के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य, श्रम कल्याण कार्य—किसका उत्तरदायित्व, भारत में श्रम कल्याण कार्य का महत्व, भारत में श्रम कल्याण कार्य, उत्तर-प्रदेश में श्रम-कल्याण, मालिकों एवं श्रमिक संघों द्वारा किए गए कल्याण कार्य, चौथी पंचवर्षीय योजना तथा श्रम कल्याण व सुरक्षा ।

———